an>

title: Presentation of the 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, 32nd and 33rd report of the Committee on Petitions.

श्री भगत सिंह कोश्यारी (नैनीताल - उधम सिंह नगर): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में डॉ. मधुसूदन दीक्षित से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 25वां प्रतिवेदन।

(2) उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन टीम में ग्रामीण/स्थानीय युवाओं की तैनाती के बारे में लोक सभा सदस्य श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी साह द्वारा अग्रसारित एवं श्री विजेन्द्र रावत से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 26वां प्रतिवेदन।

(3) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं में सुधार के बारे में लोक सभा सदस्य श्री अरविन्द सावंत से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 27वां प्रतिवेदन।

(4) मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु (एचआईवी)/ अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (एड्स) के कथित नजरअंदाज करने के बारे में श्री डी.के. जोशी से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 28वां प्रतिवेदन।

(5) इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया पेंशन योजना का भारतीय स्टेट बैंक पेंशन योजना में उपविलय एवं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया पेंशन निधि के कथित दुर्विनियोग के बारे में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया पेंशनभोगी संघ के सचिव श्री सी.एल. कपूर से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 29वां प्रतिवेदन।

(6) भारी राशि के बैंक ऋण की मंजूरी प्राप्त करने में ऊंची पैठ रखने वाले लोगों, उद्योगपतियों की बैंक अधिकारियों के साथ कथित सांठ-गांठ और परिणामस्वरूप अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के बढ़ते जाने के बारे में श्री राजेन्द्र प्रसाद से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 30वां प्रतिवेदन।

(7) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के अंतरण/निजीकरण एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों के आरक्षण अधिकारों का संरक्षण एवं इससे जुड़े मुद्दों के बारे में लोक सभा के संसद सदस्यों सर्वश्री अरविन्द सावंत और राजन विचारे से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 31वां प्रतिवेदन।

(8) भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आईओसीएल) के ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए तंत्र को सशक्त करने के बारे में श्री प्रज्ञा प्रिय राहुल से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 32वां प्रतिवेदन।

(9) भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (बीपीसीएल) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने के संदर्भ में श्री वी.पी. बलवातकर से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 33वां

प्रतिवेदन।

12.02 hours